



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR
Phone & Fax 01378-227229 E-mail.-eepwdnarendranagar@ymail.com

पत्रांक 683 / 6 एम0जी0

दिनांक- 19 / 06 / 2020

सेवाएं,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/18/2018/एफ0सी0/1720 दिनांक 19.11.2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्र संख्या 1422/पी0एफ0/यू0के0/रोड/17417/2016 दिनांक- 29.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मार्ग निर्माण हेतु 1.33 हे0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड करने के पश्चात् हार्ड कापी (4 प्रतियों) में आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अनुपालन आख्या मय संलग्नक विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा 2.66 हे0 सिविल सोयम भूमि पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 7,41,250.00 वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली गयी है। इस कार्य हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 11,23,850.00 वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली गयी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में यदि वृद्धि होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा जमा की जायेगी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर लिया गया है।
4. शर्त संख्या-4 का अनुपालन कर लिया गया है।
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख-रेख में स्टीप प्लान्टेशन की जायेगी, की बचन बढता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर लिया गया है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कृपया प्रकरण को विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि-23न0

पत्र प्राप्ति की तिथि 26/06/2020

धनराशि के हस्ताक्षर

पत्र संख्या का पत्र संख्या

पत्र संख्या का पत्र संख्या

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

नरेन्द्रनगर

धनराशि

आदेशः

खसख्या १५
काइल नं ६१६
दिनांक ३०/१२/२०१९

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं० 881/ ५० सं० ५० / 06 / 18 / 2018 / एफ०सी०/1720 दिनांक 19.11.2018 के द्वारा टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौडियाला से गंगलरी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हे० वन भूमि पर गैर वास्तविकी कार्य के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्राथमिकी के फलस्वरूप क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम तिमली के 2.68 हे० सिविल भूमि को प्रतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने के आदेश किये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती को सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०ने०वि० नरेन्द्रनगर के पत्रांक 1937/8 एफ०जी० दिनांक 18.12.2019 में उल्लेख किया गया है, कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम गंगलरी के खाता संख्या -19 एवं ग्राम बडीर के खाता संख्या-05 की सिविल भूमि का चयन किया गया था, किन्तु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में टंकण बुटिवश ग्राम गंगलरी के खाता संख्या -19 एवं ग्राम बडीर के खाता संख्या -05 के स्थान पर ग्राम तिमली खाता संख्या-19 एवं खाता संख्या-05 अंकित हो गया था। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती के पत्रांक -1776 /12 - 1(2), दिनांक, मुनिकीरेती, 18.12.2019 के द्वारा अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के अनुरोध पर ग्राम तिमली के स्थान पर ग्राम गंगलरी के खाता संख्या-19 एवं ग्राम बडीर के खाता संख्या-05 की भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामान्तरित करने की संस्तुति की गयी है। ग्राम गंगलरी पट्टी दोगी के खाता संख्या-19 के खसरा नम्बर 1915 रकबा 0.817 हे०, खसरा संख्या-1939 रकबा 0.817 हे० मध्ये रकबा 0.650 हे० व खसरा संख्या-1958 रकबा 0.431 हे० कुल रकबा 2.065 हे० में से 1.898 हे० व ग्राम बडीर पट्टी दोगी के खाता संख्या- 05 के खसरा संख्या- 826 रकबा 0.802 हे० अर्थात् कुल रकबा 2.70 हे० सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में किये जाने के क्रम में नायब तहसीलदार पावकी देवी के पत्र संख्या-128/२०का०(भूमि हस्ता०)-2019, दिनांक पावकी देवी, 26 जून 2019 पर उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पृष्ठांकन दिनांक 03 जुलाई 2019 एवं नायब तहसीलदार पावकी देवी के पत्र संख्या-55/२०का० (जु०वि० हस्ता०)-2019, दिनांक पावकी देवी, 31 दिसम्बर 2019 पर उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पृष्ठांकित संस्तुति दिनांक 01.01.2020 के द्वारा उप तहसील पावकी देवी की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रकबा(हे०में)	भूमि की किस्म
गंगलरी	दोगी	19	1915	0.817	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
			1939म०	0.650	
			1958	0.431	
बडीर	दोगी	05	826	0.802	
योग-				2.70 हे०	

प्रस्तावित कौडियाला-गंगलरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या -2882 / XVIII(H)/ 11-18(120) / 2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या -2385 / XVIII(H)/13-18 (120)/2010 टी०सी० दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्ता दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश वन अनुपालन करना होगा।

Pl-to Copy Attested

Assistant Engineer
Conservation Division
MWD, Nainital Nagar

31.12.19

Scanned with CamScanner

(2)

अतएव शारनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के द्वारा प्रस्तावित किचे मधे ग्राम मंगलरी पट्टी दोगी के खतीनी खाता संख्या-19 के खसरा नम्बर 1915 रकबा 0.817 है० खसरा संख्या-1939 मधे रकबा 0.690 है० व खसरा संख्या-1958 रकबा 0.431 है० कुल रकबा 1.898 है० व ग्राम बडीर पट्टी दोगी के खतीनी खाता संख्या-05 के खसरा संख्या-808 रकबा 0.802 है० कुल रकबा 2.70 है० (दो दशमलव सात शून्य है०) श्रेणी 9(3)क (राजस्व विभाग के नियम-अनुसूची-1) दिविल भूमि उल्लिखित शारनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के प्रतिवत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में शक्तिपूर्वक नुसारोपण हेतु अन्तर्गत की जाती है। नायब तहसीलदार पावकी देवी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित / इन्दाजी करना सुनिश्चित करे।

(डा०वी०धनमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

- कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
संख्या- 324 / XI-64(2018-19)दिनांक नई टिहरी, दिसम्बर, 6, 2019
- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 - 2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
 - 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पीडी।
 - 4- मोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 5- प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
 - 6- अधिसारी अभियन्ता, गि०ख० लो०गि०वि० नरेन्द्रनगर।
 - 7- उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर।
 - 8- नायब तहसीलदार पावकी देवी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Sh. Rasu / श्री अशोक गुनारदेवी / अशोक

10/11/2019

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Construction Division
PWD, Haridwar Nagar

Scanned with CamScanner

CONSULTANT ENGINEER
CIVIL ENGINEER
P.W.D. Nagar

Photo Copy Attested

Scanned with CamScanner

गणना करणारे व्यक्तींची यादी

आयकर विभाग

क्र.सं.	व्यक्तीचे नाव	पत्ता	वर्ग	आय	टॅक्स
1	श्री. विठ्ठलराव
2	श्री. रामराव
3	श्री. महादेव
4	श्री. नारायण
5	श्री. गणेश
6	श्री. लक्ष्मण
7	श्री. विनायक
8	श्री. सुधाकर
9	श्री. राजेंद्र
10	श्री. अशोक
11	श्री. प्रकाश
12	श्री. अशोक
13	श्री. विनायक
14	श्री. सुधाकर
15	श्री. राजेंद्र
16	श्री. अशोक
17	श्री. प्रकाश
18	श्री. अशोक
19	श्री. विनायक
20	श्री. सुधाकर
21	श्री. राजेंद्र
22	श्री. अशोक
23	श्री. प्रकाश
24	श्री. अशोक
25	श्री. विनायक
26	श्री. सुधाकर
27	श्री. राजेंद्र
28	श्री. अशोक
29	श्री. प्रकाश
30	श्री. अशोक
31	श्री. विनायक
32	श्री. सुधाकर
33	श्री. राजेंद्र
34	श्री. अशोक
35	श्री. प्रकाश
36	श्री. अशोक
37	श्री. विनायक
38	श्री. सुधाकर
39	श्री. राजेंद्र
40	श्री. अशोक
41	श्री. प्रकाश
42	श्री. अशोक
43	श्री. विनायक
44	श्री. सुधाकर
45	श्री. राजेंद्र
46	श्री. अशोक
47	श्री. प्रकाश
48	श्री. अशोक
49	श्री. विनायक
50	श्री. सुधाकर

कार्यालय आयकर विभाग, अहमदनगर, दि. 15/05/2018

Challan

AGENCY COPY	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Date : 29-03-2019	
Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PF/Application No.	6117417837
MoCF/ISO File No.	8D/UCP/06/18/2018/FC
Address.	E E C D P W D Narendranagar Tehsil Garhwal
Remitter Contact No. E-mail-id, Mobile No., Landline No.	eeepwdnarendranagar@gmail.com 7893715175 1378-227229
Amount (In Rs)	1865100/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)
Amount in Words: Eighteen Lakh Sixty Five Thousand One Hundred Rupees Only	
Depositor Signature (Signature)	Bank Officer (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp
<ul style="list-style-type: none"> Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction. Challan should only be accepted against BHT/DO. Enter the Remitter Name in Additional Information 1 Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2 This challan is valid only for seven days. 	

CAMPA/MOEF Copy	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Date : 29-03-2019	
Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PF/Application No.	6117417837
MoCF/ISO File No.	8D/UCP/06/18/2018/FC
Address.	E E C D P W D Narendranagar Tehsil Garhwal
Remitter Contact No. E-mail-id, Mobile No., Landline No.	eeepwdnarendranagar@gmail.com 7893715175 1378-227229
Amount (In Rs)	1865100/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)
Amount in Words: Eighteen Lakh Sixty Five Thousand One Hundred Rupees Only	
Depositor Signature (Signature)	Bank Officer (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp
<ul style="list-style-type: none"> Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction. Challan should only be accepted against BHT/DO. Enter the Remitter Name in Additional Information 1 Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2 This challan is valid only for seven days. 	

BANK COPY	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Date : 29-03-2019	
Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PF/Application No.	6117417837
MoCF/ISO File No.	8D/UCP/06/18/2018/FC
Address.	E E C D P W D Narendranagar Tehsil Garhwal
Remitter Contact No. E-mail-id, Mobile No., Landline No.	eeepwdnarendranagar@gmail.com 7893715175 1378-227229
Amount (In Rs)	1865100/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)
Amount in Words: Eighteen Lakh Sixty Five Thousand One Hundred Rupees Only	
Depositor Signature (Signature)	Bank Officer (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp
<ul style="list-style-type: none"> Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction. Challan should only be accepted against BHT/DO. Enter the Remitter Name in Additional Information 1 Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2 This challan is valid only for seven days. 	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in


Print Back

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Construction Division
PWD, Narendranagar


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर मे कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-03 के अनुपालन मे यदि एन0पी0वी0 की दरों मे वृद्धि होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा जमा की जायेगी।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर मे कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-05 के अनुपालन मे सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव होगा सड़क के दोनो किनारे तथा सेन्द्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख-रेख मे स्ट्रीप प्लान्टेशन की जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR

Phone & Fax 01378-227229

E-mail.-eepwdnarendranagar@gmail.com

पत्रांक 1996 / 15 सी
सेवा में,

दिनांक: 31 / 12 / 2019

✓ अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०,
नरेन्द्रनगर।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी मोटर मार्ग हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-1076 / 27 सी० दिनांक 23.09.2019 एवं पत्रांक 1089 / 26 सी० दिनांक 27.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कौड़ियाला गंगलसी मोटर मार्ग, जो स्टेज-1 के कार्यों हेतु प्रथम ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, की वर्तमान स्थिति के साथ सभी सूचनायें जैसे जमीन/फसल आदि के मुआवजे की फाइनल प्लेन टेबल आदि प्रेषित की जानी है, के क्रम में उक्त मार्ग का हस्तान्तरण संलग्न KEY PLAN के अनुसार ABCD भाग आपको निम्न प्रकार हस्तान्तरित विन्या जाता है।

क्रम सं०	की-प्लान में दर्शाया गया का भाग	हस्तान्तरण का विस्तृत विवरण
1	A से B	मार्ग का यह भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58/07 के किमी०267 से प्रारम्भ हो कर 5.00 किमी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि से हो कर जाता है, जिसकी वनभूमि हस्तान्तरण सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है (प्रति संलग्न)। इस भाग में मार्ग निर्माण का कोई कार्य करवाया गया है। यह मार्ग आपको हस्तान्तरित किया जाता है।
2	B से C	इस खण्ड के अन्तर्गत इस भाग की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है तथा न ही कोई कार्य करवाया गया है।
3	C से D	यह मार्ग (हुगाला-संसमण मोटर मार्ग) राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं० 2085/111(2)/2017-11(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 16.08.2017 के द्वारा 5.00 किमी० लम्बाई हेतु स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में अनु० सं०-13/एस०ई०-8/2018-19 दिनांक 18.07.2018 के अन्तर्गत ठेकेदार श्री ओम प्रकाश उनियाल तथा एवं श्री विजेन्द्र सिंह रावत (JV) किमी० 5.00 कि०मी० लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आवश्यकता के अनुसार दीवार निर्माण का कार्य किया गया है। स्कपर निर्माण का कार्य नहीं करवाया जा सके तक अनुबन्ध का अन्तिमीकरण समय पर किया जा सके। अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्त की तिथि 17.01.2020 है। ठेकेदार को उक्त तिथि तक डिफैक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण करने लिखा गया है, जिस पर कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी अवगत कराया गया था कि यदि अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कार्य समाप्ति की तिथि से पूर्व किया जाता है तो ठेकेदार विभाग के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही कर सकता है। अतः इस भाग को दिनांक 01.01.2020 या डिफैक्ट कटिंग का कार्य जल्दी समाप्त होने पर इस तिथि से पूर्व पूर्ण कर आपको हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

अतः आपको ABC वाले भाग को इस पत्र के माध्यम से हस्तगत किया जा रहा है तथा C से D वाले भाग को दिनांक 18.01.2020 या उससे पूर्व हस्तगत कर दिया जायेगा।
संलग्न- यथोपरि।

(ई० मी० आरिफ खान)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष-0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१८/२०१६/एफ०सी०/१७२०

दिनांक: 19/11/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौडियाला से गंगल्लेसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
1.33 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नीडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-
2395/FP/UK/ROAD/17417/2016 दिनांक 17.01.2018

नहोदय

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/17417/2016 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नीडल
अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करके निम्नलिखित द्वारा विषयार्थित प्रस्ताव पर
केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तावित प्रकरण पर दृष्टानपूर्वक विचार करने के उपरान्त
केन्द्र सरकार जनपद- टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौडियाला से गंगल्लेसी तक मोटर मार्ग के निर्माण
हेतु 1.33 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित
शर्तों पर प्रदान करती है-


1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के क्षेत्र 2.68 हे० चाम-जिमली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक
प्लांटिंग एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये
यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में
हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय
द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये
आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित सीमा जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता
अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल
पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाएं अन्य
माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुमालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. तड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां समर्थ हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण
द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रस्तुत
करनी होगी।

कमल शर्मा
19/11/18

शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुगत सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा दिग्दिग्द स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की शर्तों के तहत वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिप्रक वृक्षारोपण हेतु चयनित 266 हे० गम-विगली सिविल एवं सोयम भूमि को छ माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के अन्तर्गत मजदूरों, स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर जमिनी नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रस्ते/गैस/कैन्टीन/बैठक/आदि की व्यवस्था की जायेगी जिससे शिकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्थितियाँ एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग केवल वन संरक्षण के उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विकसित नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटेन/प्राप्त किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 83 से अधिक न हो।
10. सतह जलसिंचन के प्रयोग के लिये जल संचयन के उद्देश्य के लिए जल के द्वारा General Verge पर उपरोक्त अभिकरण द्वारा अर्पित वन विभाग की स्वीकृति के तहत स्टाफ प्लांटेशन की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्पन्नित मलबे को निरस्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थलों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/विधेय/कार्यालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन प्रकृत अनुमति सेना-राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भूमि में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवनियोगी

 (कमल प्रसाद)
 वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०); पर्यावरण, वन एवं जलशायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रसाद)
 वन संरक्षक

(2)

पत्रांक : 1996/15-सी तददिनांक:

-2-

01/26/19
3-01-2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, (ग0क्षे0) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- 2- मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (ग0क्षे0) उत्तराखण्ड (देहरादून)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, 8वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मसुरी।
- 5- सहायक अभियन्ता (मुनिकीरेती) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि, पी0एम0जी0एस0 खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को मार्ग उक्तानुसार हस्तगत करना सुनिश्चित करें।
- 6- श्री अनूप कुमार सकलानी कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को मार्ग हस्तगत करना सुनिश्चित करें।
- 7- श्री शूरवीर सिंह रमोला, अमीन, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि, मा प्रतिकर वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 8- श्री ओम प्रकाश उनियाल तथा एवं श्री विजेन्द्र सिंह रावत (JV) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 17.01.20 पूर्व डिफैक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा उक्त तिथि के बाद मार्ग पर किसी भी प्रकार का कार्य न किया जाय।

26/10

RKC

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक

01/26/19 दि 08/01/2020

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता द्वितीय
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित,

पतिलिपि- क.अ.स.प्रा.0

31/12/19


प्रारूप-8


परियोजना का विवरण- जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 2.00 कि०मी०)


प्रपत्र संख्या-8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर परियोजना को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाना है, तथा आस-पास की विभिन्न प्रकार की भूमि को भिन्न-2 निर्धारित रंगों से प्रदर्शित किया जाना है तथा इनका विवरण संकेत तालिका में भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। निर्धारित रंगों का विवरण निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के प्रकरणों में क्षेत्र में विद्यमान सड़कों का नेटवर्क तथा प्रस्तावित मार्ग जिस पूर्व निर्मित मार्ग से प्रारम्भ हो रहा है, को भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

1. आरक्षित वनभूमि को हरे रंग से।
2. सिविल एवं सोयम भूमि को पीले रंग से।
3. वन पंचायत भूमि को नीले रंग से।
4. संरक्षित वन भूमि को भूरे रंग से।
5. नाप भूमि को अन्य किसी रंग से।

(इस मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)



फिनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

डिजिटल मैप :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौडियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

Handwritten signature

Handwritten signature
वन विभागाधिकारी
शिवपुरी वन विभाग
नरेंद्रनगर उप-वन प्रभाग
मुनि की रती

Handwritten signature
इलाहाबाद वन विभागाधिकारी
बरेilly-11
मुनि की रती

Handwritten signature
उप-प्रभागाधिकारी
नरेंद्रनगर उप-वन प्रभाग
मुनि की रती

Handwritten signature
नरेंद्रनगर उप-वन प्रभाग
मुनि की रती


Handwritten signature
नरेंद्रनगर उप-वन प्रभाग
मुनि की रती

Handwritten signature
इलाहाबाद वन विभागाधिकारी
नरेंद्रनगर उप-वन प्रभाग
मुनि की रती

टिहरी गढ़वाल

डिजिटल मैप :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौडियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।


वन सहायिका
शिवपुरी गढ़वाल
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप जिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप जिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर
टिहरी गढ़वाल

डिजिटल मैप :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौडियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

Assistant Engineer
Construction Division, P.W.D.
Narendra Nagar, Muniki


SDM
NARENDRA NAGAR

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन रानि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
भूमि की रेनी

जीयोरफिकल मैप - जनपद दिहरी मण्डल के अन्तर्गत कोडियारा से मंगलरी मोरव मार्ग के निर्माण हेतु



S.no.	Longitude	Latitude
1	78°29' 34.242" E	30°4' 28.691" N
2	78°29' 36.654" E	30°4' 32.370" N
3	78°29' 35.238" E	30°4' 31.336" N
4	78°29' 34.190" E	30°4' 36.274" N
5	78°29' 29.881" E	30°4' 40.101" N
6	78°29' 24.251" E	30°4' 42.282" N
7	78°29' 17.682" E	30°4' 43.476" N
8	78°29' 10.706" E	30°4' 45.630" N
9	78°29' 2.868" E	30°4' 49.264" N
10	78°29' 3.481" E	30°4' 54.467" N
11	78°29' 7.312" E	30°4' 58.896" N
12	78°29' 9.673" E	30°5' 4.164" N
A	78°29' 10.200" E	30°5' 4.000" N


Construction Division, District
Narendra Nagar, Munikireti

अधिकारी, मुनिकिरी
District, Munikireti

इस क्षेत्रधिकारी
देवप्रयाग यन रजि
नरेंद्रनगर यन प्रभाग
यना की रेखा

डिजिटल मैप :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौडियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

Handwritten signature

Handwritten signature

वन अधिकारी
शियपुरी वन राजि
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप-भागीय वन अधिकारी
नरेंद्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेती

Handwritten signature
रजि. नं. - (वि) 100/1

Handwritten initials

वन प्रभारक
नरेंद्रनगर
टिहरी गढ़वाल

Handwritten signature
नरेंद्रनगर
टिहरी गढ़वाल



डिजिटल मैप :- जगपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कौडियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
 चयनित बाटिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Legend Proposed Plantation

प्रतिस्थापित अपर सिलसिलेकारी

मूनि-की-रेती

CS

हिसील ५१२


पुनः निर्माण

अपर सिलसिलेकारी

अपर सिलसिलेकारी

अपर सिलसिलेकारी

जीयोरेफरेन्स मॅप - जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कौडियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



S.no.	Longitude	Latitude
1	78°29' 26.169" E	30°5' 44.830" N
2	78°29' 27.347" E	30°5' 42.657" N
3	78°29' 28.819" E	30°5' 41.349" N
4	78°29' 31.233" E	30°5' 40.236" N
5	78°29' 33.650" E	30°5' 40.977" N
6	78°29' 35.194" E	30°5' 41.509" N
7	78°29' 33.428" E	30°5' 42.789" N
8	78°29' 30.794" E	30°5' 44.098" N
9	78°29' 29.755" E	30°5' 45.305" N
10	78°29' 27.931" E	30°5' 45.261" N
11	78°27' 52.729" E	30°5' 33.031" N
12	78°27' 54.956" E	30°5' 34.798" N
13	78°27' 53.569" E	30°5' 35.892" N
14	78°27' 52.312" E	30°5' 37.230" N
15	78°27' 49.489" E	30°5' 35.849" N
16	78°27' 50.551" E	30°5' 34.874" N

Legend

- GPS Co ordinates
- Proposed Ca Land

Asst. District Engineer
Construction Division, District
Narendra Nagar, Municipal

महेश्वरी एन.एच.डी.
नरेंद्रनगर वन प्रभाग

नरेंद्रनगर वन प्रभाग
महेश्वरी एन.एच.डी.

अधिकारी, पुलिस
दफ्तर नं. 20, तानाडीगंज
टिहरी गढ़वाल
श्री. राजेंद्र नाथ
श्री. राजेंद्र नाथ
श्री. राजेंद्र नाथ

डिजिटल मैप :- जनपद दिहरी गढवाल के अन्तर्गत कोडियाला से गंगलसो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Existing Road

अपर जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल

अपर जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल

प्रारूप-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector New Tehri

Dated--- 02/01/16.

No-- 1050/XXVI-105 (2015-16)

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.33 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Const Div P.W.D. Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district** falls within jurisdiction of **Kaudiyala to Gangalsi Village in Narendra Nagar Tehsil**. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.33 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.10.....to ...annexure.30.4.....**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
 (ज्योति नैरज खेरवाल)
 (Mrs Jyoti Neeraj Kherwal)
 District Collector
 Tehri Garhwal

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Tehri Garhwal (U.K.)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights)
act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs Jyoti Neeraj Kherwal I.A.S deputy commissioner, Tehri Garhwal on dated 02/01/2016 Tehri in which application claiming rights in Forest area measuring **1.33 hect** for the construction of **Kaudiyala to Gangalsi Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Tehri
Dated : 02/01/2016


Deputy Commissioner cum Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

It Further certified that- Minutes of Meeting of Construction of Kaudiyala to Gangalsi Motor Road (Length 2.00 Km) regarding FRA is as following:

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.33 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D.Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Kaudiyala to Gangalsi village in Narendra Nagar Tehsil.

S.N.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...30:4.....to ...annexure...30:4.....	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

30/09/11

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
सुमन पुंडीर
सदस्य जिला पंचायत
47 बडीर पट्टी रोड
नरोन्नगर, टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

ग्रामीय समाविकासी
नरेन्द्रनगर वना प्रभाग
पुनिवीरैली

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

(ज्योति नौरज खेरवाल)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारूप-30.2

परियोजना का विवरण:-जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 2.00 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति - तहसील नरेन्द्रनगर**

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के (लम्बाई 2.00 कि०मी०) निर्माण हेतु (1.050 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि तथा 0.070 हे० नाप भूमि अर्थात् कुल 1.333 हे० वन भूमि) का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 02/11/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1- श्री लक्ष्मी राज चौधरी | उपजिलाधिकारी - अध्यक्ष |
| 2- श्री श्री पी० मदन | उप प्रभागीय वनाधिकारी- सदस्य |
| 3- श्री श्री देवेंद्र कुमार | सहायक समाज कल्याण अधिकारी- सदस्य/सचिव |
| 4- श्री श्री देवेंद्र कुमार | बी०डी०सी० क्षेत्र - सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.333 हे० वन भूमि का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मुनिकीरेती परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.333 हे० वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में संक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- नरेन्द्रनगर
जनपद- टिहरी गढ़वाल





प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- नरेन्द्रनगर
जनपद- टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप

आज दिनांक 02/11/15 को राज्य योजना के अन्तर्गत कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग निर्माण हेतु नू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री लक्ष्मी प्रताप चौधरी	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	
2	श्री डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	
3	श्री सुरेश कुमार शर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	
4	श्री शारदा देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत प्रमुख नरेन्द्रनगर	

प्रारूप-30.3

परियोजना का विवरण:- जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 2.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - बडीर
तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल



अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.050 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे० सिविल सोयम भूमि, एवं 0.070 हे० नाफभूमि) अर्थात् कुल 1.400 हे० वन भूमि का प्रस्ताव निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बडीर द्वारा दिनांक ~~20/7/20~~ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा तिमली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर को प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जिला पंचायत सदस्य
Zuman
सुमन पुण्डेर
सदस्य जिला पंचायत
47 बडीर फटी रोड
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल




प्रारूप-30.4

दिनांक 25-3-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- बडीर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	वलवान लाल	बंशनाथ सिंह
2	बिर-रु सिंह	बिर-रु सिंह
3	बिना देवी	बिनीता देवी
4	गुर-रु सिंह	गुर-रु
5	नारायण लाल	नारायण सिंह
6	डोंगर सिंह	डोंगर सिंह
7	विजय सिंह	B.S. Panu
8	विलास लाल	B.S. Panu
9	शरन सिंह	शुर्वीर सिंह
10	अमर सिंह	उमराव सिंह
11	अमर सिंह	अमर सिंह
12	मैपाल लाल	B.S. Panu

13	कुलदीप सिंह	कुलदीप सिंह
14	वृष्ण सिंह	कृष्ण सिंह
15	गिरवीर सिंह	गिरवीर सिंह
16	विजय सिंह	विजय सिंह
17	गिरववाइ सिंह	गिरववाइ सिंह
18	कान सिंह	कान सिंह
19	शिव सिंह	शिव सिंह
20	हुकाम सिंह	Hukam Singh
21	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
22	मोहन सिंह	Mohan Singh
23	विक्रम सिंह	Vikram Singh
24	धिरेंद्र सिंह	धिरेंद्र सिंह
25	द्रम्भान सिंह	द्रम्भान सिंह
26	क्रीतम सिंह	क्रीतम सिंह
27	करण सिंह	करण सिंह
28	मनोहर सिंह	मनोहर सिंह
29	उम्मेद सिंह	उम्मेद सिंह

30	गौपाल सिंह	गौपाल सिंह
31	राजेश सिंह	राजेश सिंह
32	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
33	भगवान सिंह	भगवान सिंह
34	जीतार सिंह	जीतार सिंह
35	देव सिंह	देव सिंह
36	रणवीर सिंह	रणवीर
37	मुक्तार सिंह	मुक्तार सिंह
38	मातवर सिंह सा० हवाण सिंह	मातवर सिंह
39	बलवत्त सिंह सा० हवाण सिंह	बलवत्त सिंह
40	वेन सिंह सा० सुंदर सिंह	वेन सिंह
41	विरेंद्र सिंह सा० मदन सिंह	विरेंद्र सिंह
42	अहिपाल सिंह सा० सुंदर सिंह	अहिपाल सिंह
43	रविन्द्र सिंह सा० होशियार सिंह	रविन्द्र सिंह
44		



नकल खसरा ग्राम - डोंगलखी पथरी - देवी तहसील - नैनीताल
 जिला - ऋषिदांग, 1423 फरसद -

खसरा सं०	अंश रकबा	खसरा सं०	अधिकार का नाम	अधिकार का नाम	अधिकार रकबा	बिवाण
1915	0.817	19	उत्तरखण्ड - सका करी डी (उ.ड.)	वन विभाग का ऋषिदांग	0.817	ग्राम - डोंगलखी कोटियाल मेघ मानी विवाण
1939	0.817	19	—	—	0.650	वन विभाग का अशक्ति-हट्टे,
1958	0.431	19	—	—	0.431	—
योग 3	2.065	—	—	—	1.898	—

रंभा (डिप)
 जे.म.
 शांतिपथी
 तहसील
 11/11/15

ಗೋದಾನ ಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರಣೆ - 1911

1911-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	3000000		17	0049															
	1000000		25	0181															
	1000000		28	0080															
	1000000		4	0000															
	1000000		1400	0020															5
	1000000		1908	0141															
	1000000		1908	0015															
	1000000		1911	1130															
	1000000		1915	0017															10
	1000000		1918	0008															
	1000000		1920	0017															
	1000000		1920	0045															
	1000000		4603	0251															16
	1000000		4613	0751															
	1000000		109	101	900	1000													20

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು

511611
 119115
 109-101-900-1000

लकल रासुर (खैरवा 7 ग्राम - बही - पर्यी - केरी लक्ष्मीका - नरिहवा
 जिला - बिहरी जालवाल,

बस्य क्र	रकवा	रास हो	अभियुक्तानाम	प्रकारितेक्रियाज की नाम	रकवा प्रकारिते	जिला
826	0.802	05	डलसखाड सुरका करी री 30 डी	कनक्रियाज	0.802 7	कौटियाका गंगामती मोरेपुपु जिला हडु
827	0.802	-	-	-	0.802	-

लक्ष्मी मिश्र,
 [Signature]

11/11/15
 लक्ष्मी बहुगुणा
 राज्य, उपनिरीक्षक
 निरपराध (वि) भाग

::प्रमाण-पत्र::

अधिशायी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के पत्रांक 3123/6 एम0जी0 दिनांक 21.12.2015 के द्वारा जनपद के अन्तर्गत प्रस्तावित कौडियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.050हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 3.892हे0 सिविल सोयम कुल 1.33हे0 वन एवं सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-
आरक्षित वन भूमि का विवरण:-

जिला	प्रभाग का नाम	वन राजि	वन ब्लाक	लम्बाई (कि०मी०में)	चौड़ाई (मी०में)	क्षेत्रफल (हे०में)
01	02	03	04	05	06	07
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	शिवपुरी रेंज	सिंगटाली कक्ष संख्या 10	1500.00	7.00	1.050
योग						1.050

सिविल सोयम भूमि का विवरण:-


तहसील	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	आवेदित क्षेत्रफल (हे०में)
01	02	03	04	05	06
नरेन्द्रनगर	बडीर	दोगी	05	1255	0.12
				1394	0.08
				1395	0.08
योग					0.28

इस कार्यालय के आदेश संख्या-81/5-27 दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम बडीर की असिंचित भूमि का मूल्य रु 8,50,000.00 (आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र) प्रति हे० निर्धारित है। इस प्रकार नरेन्द्रनगर की प्रस्तावित 1.050हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.28हे० सिविल सोयम कुल 1.33हे० वन एवं सिविल सोयम भूमि का मूल्य 11,30,500.00 (ग्यारह लाख तीस हजार पाँच सौ रुपये) आंकलित किया जाता है।

प्रस्ताव पर उपलब्ध संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार हस्तान्तरण हेतु भूमि याचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं न्यूनतम है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।


क्रमांक- 1052/XXV-105 (2-15-16)

दिनांक- 02/01/16


जिला अधिकाारी,
टिहरी गढ़वाल।

सिद्धि-पे-विश्वविद्यालय-सिद्धि-पे-विश्वविद्यालय-सिद्धि-पे-विश्वविद्यालय

पत्रांक- 64" = सिद्धि-पे



सिद्धि-पे-विश्वविद्यालय

- सिद्धि-पे-विश्वविद्यालय
- 1- नदी-काल
 - 2- काल
 - 3- नदी
 - 4- नदी
 - 5- नदी